जबलपुर दुग्ध संघ/दुग्ध शीतकेन्द्र/ मिनी दुग्ध संयंत्र हेतु श्रमिक/सर्विस प्रोवाईडर ठेका की ई–निविदा प्रपत्र

(ठेका की अवधि तीन वर्ष हेतु)

: निविदा आमंत्रणकर्ता :

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
डेयरी संयंत्र करौंदा नाला, इमलिया, जबलपुर (म•प्र•) 482004

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी संयंत्र करौंदा नाला, इमलिया, जबलपुर जबलपुर–482004
E-mail: jdssanchi@gmail.com

दुग्ध शीतकेन्द्र/मिनी दुग्ध संयंत्र हेतु श्रमिक/सर्विस प्रावाईडर ठेका की ई–निविदा आमंत्रण सूचना

–निविदा संदर्भ क्रमांक : JSDS/Admin./2026/01

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों/मिनी दुग्ध संयंत्रों में तीन वर्ष की अवधि के लिये ठेका श्रमिक/सर्विस प्रोवाईडर प्रदाय हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदाकर्ता राशि रू.2,000/– (दो हजार रूपये मात्र) का ऑनलाइन भुगतान कर ई–टेण्डरिंग वेबसाइट http://www.mptenders.gov.in पर दिनांक 12/01/2026 दोपहर 12:00 बजे से दिनांक 02/02/2026 दोपहर 12:00 बजे तक निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय कर सकते हैं। निविदा अपलोड करने का अंतिम समय दिनांक 02/02/2026 दोपहर 12:00 बजे तक है। निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण एम.पी.सी.डी.एफ की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर पठन हेतु उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी संयंत्र, जबलपुर– 482004

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. जबलपुर
डेयरी संयंत्र, जबलपुर–482004
ठेके पर श्रमिक/सर्विस प्रोवाईडर प्रदाय हेतु निविदा कार्यक्रम

1	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	12/01/2026 दोपहर 12:00 बजे
2	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन कय करने की अंतिम तिथि एवं समय	02/02/2026 दोपहर 12:00 बजे तक
3	निविदा ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	02/02/2026 दोपहर 12:00 बजे तक
4	तकनीकी निविदा ऑनलाइन खोलने की तिथि एवं समय	03/02/2026 दोपहर 12.00 बजे से
5	निविदा के साथ अनिवार्यता जमा की जाने वाली धरोहर राशि (Earnest Money)	रू. 1,00,000/–(रू. एक लाख मात्र)
6	निविदा भरने की सामान्य शर्तें	प्रपत्र 01
7	निविदा हेतु "अनिवार्य तकनीकी अर्हताऐं" का विवरण	प्रपत्र 02
8	कार्य संचालन एवं अनुबंध की शर्ते	प्रपत्र 03
	"भाव पत्र/दर" प्रस्तुत करने का प्रपत्र	प्रपत्र 04
9	दुग्ध शीत केन्द्रों/मिनी दुग्ध संयंत्रों की सूची, जहां श्रमिकों को उपलब्ध कराना है।	प्रपत्र 05

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी संयंत्र, जबलपुर– 482004

कार्यालय जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

प्रपत्र–01

निविदा भरने की सामान्य शर्ते

1	जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों/मिनी डेयरी संयंत्रों में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर श्रमिक/सर्विस प्रोवाईडर को प्रदाय करने हेतु म.प्र. शासन अथवा अधिकृत निकाय/संस्था में विधिवत पंजीकृत/संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त एकल ठेकदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी जिसके पास किसी प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यक संस्था में विगत् 10 वर्षो में किसी भी पांच वर्षो का 200 दिन तक लगभग 280 श्रमिक प्रतिदिन प्रदाय का अनुभव हो, ऐसे निविदाकारों की निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा। किसी भी संस्थान से काली सूची में दर्ज या श्रमिकों के ईपीएफ/ईएसआई के भुगतान में दोषी, चूककर्ता या अन्य वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति न करने वाली या निर्धारित अमानत/सुरक्षा राशि जमा न करने वाली फर्म निविदा में भाग लेने की पात्र नहीं होगी।
2	धरोहर राशि (Earnest Money) रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) निविदाकार को mptenders.gov.in में निविदा भरते समय ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के प्रस्तुत निविदाओं को अमान्य किया जावेगा। धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निविदा अस्वीकृत होने पर असफल निविदाकारों की धरोहर राशि एक माह की समयसीमा में वापस की जावेगी। निविदा स्वीकृत होने पर संघ के प्रबंधन द्वारा कार्यादेश दिये जाने पर यदि निर्धारित तिथि से कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो धरोहर राशि (Earnest Money) जप्त कर दूसरे न्यूनतम निविदाकर्ता को कार्य का ठेका दिया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने एवं कार्य शुरू होने पर धरोहर राशि (Earnest Money) को सुरक्षा निधि (Security Deposit) में समायोजित किया जावेगा।
3	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकेदार को जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ से संबंधित समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों/मिनी दुग्ध संयंत्रों हेतु प्रतिदिन लगभग 280 श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी एवं कार्य की आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या समय–समय पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
4	कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्युलेशन एंड ऐबोलीशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत निविदाकार के पास श्रमिक प्रदाय हेतु वैध जीवित लायसेंस होना आवश्यक तथा उक्त लायसेंस का समय–समय पर नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
5	निविदाए खोलने के पश्चात यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हों और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले–निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
6	निविदाकार को कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम दोनों में रजिस्ट्रेशन होना/पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियॉ निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी। निविदाकर्ता को कारखाना अधिनियम एवं श्रम कानून के अंतर्गत प्रकरण/विवाद आदि लंबित/ विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। सफल निविदाकार द्वारा प्रेषित शपथ पत्र बाद में असत्य पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा कर वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी।
7	निविदाकार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात 45 दिवस की अवधि में समस्त श्रमिकों की जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, उनके लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा

	कम्पनी से प्रति श्रमिक रू.1,00,000/- की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। इस हेतु बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति श्रमिक ठेकेदार द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय किसी श्रमिक का एक्सीडेंट हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में वर्क्समेन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च ठेकेदार को देना होगा। प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार को सुरक्षा निधि (Security Deposit) रूपये 10,00,000/- लाख (रुपये दस लाख मात्र) अनुबंध के समय जमा करनी होगी। इस हेतु सफल निविदाकार की धरोहर राशि (Earnest Money) राशि रू 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) को सुरक्षा निधि (Security Deposit) में समायोजित किया जावेगा। साथ ही सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस में शेष राशि रू 9,00,000/- (रुपये नौ लाख मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक दुग्ध संघ कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करनी होगी। पूर्व में संघ में जमा राशि अनापत्ति प्रमाण पत्र के पश्चात् मान्य की जावेगी। उक्त सुरक्षा निधि (Security Deposit) ठेका समाप्त होने के पश्चात श्रमिक ठेकेदार द्वारा संघ के समस्त विभागों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने तथा ठेका अवधि में कार्यरत रहे समस्त ठेका श्रमिकों का संपूर्ण ई.पी.एफ अंशदान, ई.एस.आई अंशदान एवं जी.एस.टी राशि जमा होने की स्थिति में ही वापस की जावेगी। जमा सुरक्षा निधि (Security Deposit) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। रू.50.00 लाख (रूपये पचास लाख) की बैंक गारण्टी सफल निविदाकार को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व (संपूर्ण अनुबंध अवधि हेतु वैध) अनिवार्यतः दुग्ध संघ के पक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में ठेका रदद् किया जावेगा। म.प्र. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल से अथवा उसके संबंद्ध दुग्ध संघों से संबंधित कर्मचारी साख सहकारी समितियों को बैंक गारण्टी जमा किये जाने से छूट रहेगी। सूक्ष्म एवं लघु उधोग पंजीकृत ऐजेंसी को प्रतिभूति राशि के भुगतान से छुट रहेगी।
9	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को बताये गये अधिकृत पते अनुसार आयकर का PAN नम्बर कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं., कर्मचारी बीमा कोड नं. एवं जी.एस.टी कोड नं की जानकारी स्पष्टतः देनी होगी।
10	जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत सुरक्षा ठेकेदार, को श्रमिक ठेका प्रदान नहीं किया जावेगा।
11	यदि किसी भी निविदाकार द्वारा 0 प्रतिशत सर्विस चार्ज अंकित किया जाता है तो ऐसे निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। (भारत सरकार वित्त मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक 29(1) 2014-पी.पी.टी./दिनांक 28.01.2014 के अनुसार) यदि किसी निविदाकार द्वारा ऐसा सर्विस चार्ज अंकित किया जाता है जिससे निविदा की शर्त (गणवेश प्रदाय, वैधानिक भुगतान आदि) की पूर्ति संभव नहीं है अथवा जो व्यवहारिक रूप से अनुकूल नहीं है एवं एमपीसीडीएफ भोपाल के पत्र क्रमांक 4296/प्रशा./630/2020 दिनांक 17.12.2020 में दिये निर्देशानुसार (टी.डी.एस. कटौत्रा आदि) तो दुग्ध संघ द्वारा उक्त निविदाकार की निविदा को अमान्य करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
12	यदि एक से अधिक पात्र निविदाकारों द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो ठेका आवंटन हेतु सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था/ठेकेदारों को अन्य सभी वैधानिकताओं की पूर्ति करने पर प्राथमिकता दी जावेगी एवं सहकारी संस्थाओं/ठेकेदारों द्वारा निविदा में भाग ना लेने पर लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। लॉटरी के समय निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

13	यदि ठेकेदार का मुख्यालय जबलपुर शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे जबलपुर शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।
14	एक अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
15	किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदाय एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण ना होने की स्थिति में आर्बीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
16	किसी भी वाद–विवाद की सुनवाई जबलपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी ।
17	श्रमिक अधिनियम के प्रचलित/संशोधित/नवीन प्रावधानों अनुरूप नियोक्ता एवं नियोजक पर प्रभावी प्रावधानों अनुरूप कार्यवाही नियोक्ता एवं नियोजक पर बंधनकारी होगी।

प्रपत्र–02

कार्यालय जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
जबलपुर (म.प्र.)

महोदय,

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ के समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों/मिनी दुग्ध संयंत्रों में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर श्रमिक/सर्विस प्रोवाईडर को प्रदाय करने हेतु दिनांक .... को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं । यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार श्रमिक प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा धरोहर राशि (Earnest Money) रू. 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) की पावती क्रमांक ....दिनांक .... को संलग्न कर रहा हूँ एवं निम्न तकनीकी अर्हतायें के लिये प्रमाण के तौर पर वांछित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें

क्र0	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है या नहीं अंकित करें/विवरण देवें
1	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र	है/नहीं
2	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	संस्था/फर्म के संचालक मण्डल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।	है/नहीं
3	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।	है/नहीं
4	श्रमिक ठेके संबंधी जीवित लायसेंस क्रमांक।	श्रम विभाग का पत्र/प्रमाण पत्र।	है/नहीं
5	भविष्य निधि कोड नं.	क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।	है/नहीं
6	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नं.	क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र ।	है/नहीं
7	जी.एस.टी. पंजीयन कोड	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र।	है/नहीं
8	वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 का आयकर का रिर्टन जमा करने का प्रमाण।	PAN कार्ड की छायाप्रति एवं आयकर विभाग में रिर्टन जमा करने की पावती एवं प्रमाण।	है/नहीं
9	भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	विगत् 10 वर्षो में से किसी भी दो वर्षो के चालान की प्रतियां की छायाप्रति	है/नहीं
10	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत	विगत् 10 वर्षो में से किसी भी दो	है/नहीं

	प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वर्षो के चालान की प्रतियां की छायाप्रति	
11	कारखाना एवं श्रम विभाग में प्रकरण/वाद आदि विचाराधीन/लंबित न होने का शपथ–पत्र।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/नहीं
12	क्या निविदाकर्ता का जबलपुर शहर में कार्यालय है।	यदि हाँ, तो पूर्ण पते का उल्लेख करें।	
13	क्या आपकी संस्था जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें।	
14	क्या आपकी संस्था इन्दौर/उज्जैन/भोपाल/ ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें।	
15	क्या उक्त संस्थाओं में ई.पी.एफ/सुरक्षा निधि ई.एस.आई एवं सर्विस टेक्स/जी.एस. टी. इत्यादि का कोई विवाद तो लंबित/ पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गयाशपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/नहीं
16	क्या उक्त संस्थाओं से आपकी निविदा को निरस्त किया गया है?	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें।	
17	क्या उक्त संस्थाओं से फर्म को ब्लेक लिस्टेड किया गया है? या कार्य की कमी संबंधी कोई नोटिस दिया गया है?	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें।	

18. तकनीकी अर्हता क्रमांक 10 हेतु पृथक से शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
19. तकनीकी निविदा खोले जाने के पश्चात् निविदाकार या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते है।
20. धरोहर राशि (Earnest Money) राशि रू.1,00,000/– (रूपये 01.00 लाख) की ऑनलाईन mptenders.gov.in में किये गये भुगतान की पावती स्वयं के द्वारा सत्यापित कर ऑनलाईन अपलोड करनी होगी।
21. प्रपत्र–01, 02, 03 एवं 05 के संबंध में अपनी सहमति देते हुये हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करें।
22. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें।
23. तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत समस्त अर्हता रखने वाले निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय बिड ऑनलाइन खोली जायेंगी।
24. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर धरोहर राशि (Earnest Money) राजसात की जावेगी ।

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा की शर्त तथा अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश, पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूं। उक्त समस्त शर्ते दिशा निर्देश अनुसार भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–
दिनांक :–

नाम :– ....
पत्राचार हेतु पता :– ....
दूरभाष/मो.नं. :– ....

प्रपत्र–03

कार्य संचालन एवं अनुबंध की शर्ते

1	निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल निविदाकार द्वारा स्वयं के खर्चे से अनुबंध पत्र हेतु रूपये 1,000/– (रू. एक हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य प्रारंभ से पूर्व अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर करने होंगे। निर्धारित अवधि तक अनुबंध निष्पादन नहीं होने पर कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जावेगा। अनुबंध अधिकृत नोटरी द्वारा पंजीकृत किया जाना अनिवार्य होगा।
2	सफल निविदाकार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं निविदा भरने की सामान्य शर्ते की कंडिका 08 में वर्णित सुरक्षा निधि (Security Deposit) राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ को होगा।
3	श्रमिक ठेका अनुबंध दिनांक .... से .... तक (तीन वर्ष) की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। अनुबंधित श्रमिक ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने पर ही प्रबंधन यह विचार कर सकेगा कि आपसी सहमति से ठेका अवधि आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष कर आगामी दो वर्ष तक पूर्व स्वीकृत दर एवं पूर्वानुसार शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी।
4	जिस कार्य की निविदा स्वीकृत की गई है, उससे संबंधित कार्य हेतु श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन प्रति पाली में प्रबंधन की आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा द्वारा ठेकेदार को यथा समय सूचना मौखिक दी जावेगी । श्रमिक ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिकों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर इन श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। यदि व्यवस्था करने में श्रमिक ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा श्रमिक ठेकेदार हेतु बंधनकारी होगा।
5	किसी भी श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं कार्य करने वाले श्रमिक की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। यदि प्रबंध पक्ष द्वारा महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
6	श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ में प्रदाय किये गये अपने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार प्रत्येक माह में संबंधित शाखा प्रमुख द्वारा सत्यापित उपस्थिति (हाजिरी) के आधार पर मजदूरी राशि एवं अन्य स्वत्वों (दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निर्धारित दर एवं संबंधित शाखा प्रमुख द्वारा सत्यापन के आधार पर टी.ए, माईलेज भत्ता, वाहन चालक भत्ता आदि) का भुगतान अनिवार्यतः बैंकखाते के माध्यम से भुगतान किये गये पत्रक आगामी माह की सात (07) तारीख के पूर्व दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। श्रमिकों का ई.पी.एफ., ई.एस.आई, श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत्रा करने की संपूर्ण जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। अधिनियमित कटौत्रे समय पर जमा करने की जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में श्रमिक ठेकेदार को सभी श्रमिकों के बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा तथा श्रमिकों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जबाबदारी

	श्रमिक ठेकेदार की होगी, प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। श्रमिकों को उचितं भुगतान सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से श्रमिक ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची (Salary Silip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है । ठेकेदार द्वारा सभी श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जावेगी। मजदूरों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि देने में ठेकेदार विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि से या देय योग्य राशि में से संघ ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो ठेकेदार से भूराजस्व की बकाया राशि की भॉति वसूल की जावेगी। यदि किसी माह में श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वेतन भुगतान करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो श्रमिक ठेकेदार को उक्त माह के सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जावेगा। – अनिवार्य होगा कि श्रमिक ठेकेदार समस्त श्रमिकों को उनके बैंक खाते में कार्य पूर्ण होने वाले माह के आगामी माह की 5 तारीख तक बायोमेट्रिक उपस्थिति के अनुसार देय पारिश्रमिक भुगतान करने के उपरांत ईपीएफ/ईएसआई के जमा चालान सहित देयक दुग्ध संघ को भुगतानार्थ प्रस्तुत करेगा, तदानुसार दुग्ध संघ द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही पूर्ण कर श्रमिक ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा।
7	श्रमिक ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों को कार्य प्रारंभ करने के दस दिवस में अनिवार्य रूप से परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि भी देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा एवं समय–समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संघ की प्रशासन शाखा में भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8	श्रमिक ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिक ड्‌यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करना पड़ेगा। श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेगें। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक रूपये 1,000/– तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली ठेकेदार के देयकों में से की जा सकेगी। यदि ठेकेदार द्वारा संबंधित श्रमिक को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि/धरोहर राशि को भी जप्त किया जा सकेगा।
9	संयंत्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। श्रमिक द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के ऊपर रू. 500/– प्रति श्रमिक का अर्थदण्ड़ अधिरोपित किया जायेगा। श्रमिक द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा।
10	श्रमिक ठेकेदार के श्रमिक की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या संघ की संपत्ति को

	क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं, तो क्षति की राशि का दो गुना एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि के 50 गुना अर्थदण्ड प्रबंधन पक्ष द्वारा अर्थदण्ड लगाया जावेगा जिसकी वसूली उनके देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा। गंभीर अनियमितताओं में लिप्त श्रमिक को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा।
11	श्रमिक ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक देना होंगें। उनके विरूद्व किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरूद्व किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक डेरी संयंत्र/कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तत्काल हटाना होंगें। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/ असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक राशि रूपये 1,000/– तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।
12	प्रबंधन के निर्देशानुसार ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जॉच करवानी होगी (वर्ष में एक बार चिकित्सा जॉच कराना अनिवार्य होगा) तथा तत्संबधी चिकित्सां प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी । ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।
13	श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह में, ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा निश्चित की गई दो गणवेश (दो बुशर्ट, दो पैंट, एक जोड़ी जूते), ठेकेदार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना अनिवार्य होगी। महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने पर श्रमिक ठेकेदार को उन्हें भी प्रबंधन द्वारा निश्चित की गई रंग की दो गणवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा। ऐसे कार्य जैसे– दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उत्पादन व पैकिंग किया जाता है, वहां पर कार्यरत श्रमिक को एप्रेन, टोपी, मास्क, हेण्ड ग्लव्स, शूकवर्स आदि भी ठेकेदार को स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना होगी । यदि श्रमिक निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो श्रमिक ठेकेदार से रू.100/– प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा। निर्धारित गणवेश के बिना संघ में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। प्रत्येक श्रमिक को कार्य पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। श्रमिक कार्य पर उपस्थिति के समय अंगूठी, घड़ी, बिंदी, छाता, चश्मा पहनकर कार्य नहीं करेगा, अन्यथा रू. 100/– प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की अवधि में अपने समस्त श्रमिकों को उपरोक्तानुसार गणवेश प्रदाय नहीं की जाती है, तो प्रबंधन द्वारा उनके देयकों से प्रति श्रमिक राशि रू 1,500/– (दो बुशर्ट एवं दो पैंट के 1200/– रू तथा एक जोडी जूते के 300/–रू) के हिसाब से गणवेश की राशि रोक ली जावेगी तथा श्रमिक ठेकेदार द्वारा अपने समस्त श्रमिकों को गणवेश प्रदाय की जाने के पश्चात् ही उक्त राशि का भुगतान श्रमिक ठेकेदार को वापस किया जा सकेगा।

14	समय–समय पर शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें संशोधित किये जाने पर श्रमिक ठेकेदार को तदानुसार श्रमिकों की मजदूरी का पूर्ण भुगतान करना होगा। श्रमिक ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों, औद्योगिक स्वास्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, संविदा श्रमिक अधिनियम एवं कारखाना अधिनियम आदि का पालन करना अनिवार्य होगा तथा वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को श्रम नियमानुसार समस्त वर्तमान प्रावधानों व भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त लायसेंस का नवीनीकरण अनिवार्यतः कराना होगा। प्रतिमाह श्रमिक ठेकेदार को ठेका श्रमिक/सर्विस प्रोवाईडर कर्मी की सूची व सभी रजिस्टर मासिक देयकों के साथ प्रस्तुत करने होंगे। श्रमिक ठेकेदार की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये।यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा वैधानिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है, तो उसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी, साथ ही ऐसी दशा में दुग्ध संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली श्रमिक ठेकेदार के देयक से की जावेगी व आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।
15	संयंत्र परिसर में कोई भी श्रमिक टिफिन, बोतल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा दुग्ध संघ प्रबंधन/प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा, अन्यथा रू. 100/– प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल किया जावेगा।
16	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक गत माह में किये गये कार्यों/लगाये गये श्रमिकों को मानव दिवस (Man days) के आधार पर दुग्ध शीतकेन्द्र/मिनी दुग्ध संयत्र वार सत्यापित बिल सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रकों सहित एकजाई रुप से प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा। देयकों के साथ मुख पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, दुग्ध शीतकेन्द्र/मिनी दुग्ध संयत्र का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही सत्यापित भुगतान पत्रक, जिसका निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा। देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के वेतन पत्रक के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक श्रमिक की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत्रे एवं भविष्य निधि (ई.सी.आर. चालान), कर्मचारी राज्य बीमा (अंशदान विवरणिका) एवं अन्य कटौत्रे दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जानबूझकर गलत देयक का भुगतान पत्रक प्रस्तुत करने पर राशि का 100 प्रतिशत आर्थिक दण्ड़ आरोपित किया जायेगा। अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके कारण विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे श्रमिकों की संख्या मय् नाम, उपनाम, पिता का नाम, ई.पी.एफ नं, यू.ए.एन नं, ई.एस.आई नं एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा आर्थिक दण्ड़ लगाया जायेगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा यदि वैधानिक औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता है, तो दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार की सर्विस चार्ज राशि का भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोका जा सकेगा और इसके फलस्वरूप यदि का श्रमिकों को अग्रिम भुगतान संबंधी अवरोध पैदा होता है (और

	यदि उपरोक्त के अभाव में देयक भुगतान में विलंब होता है) तो उसकी पूर्ण जबावदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी एवं प्रबंधन पक्ष किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा। ठेकेदार के देयक से आयकर का नियमानुसार टीडीएस कटौत्रा कर आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत ठेकेदार संघ द्वारा किये गये कटौत्रे का विवरण प्राप्त कर सकेगा। अनिवार्य रूप से श्रमिक ठेकेदार जी.एस.टी. संबंधी समस्त वैधानिक प्रतिपूर्तियां समय पर पूर्ण कर सत्यापित दस्तावेज दुग्ध संघ को प्रतिमाह प्रस्तुत करेगा।
17	निविदाकार को निविदा के साथ आयकर का PAN कार्ड की छायाप्रति तथा वित्तीय वर्ष 2022–23, (कर निर्धारण वर्ष 2023–24) एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 (कर निर्धारण वर्ष 2024–25) हेतु जमा किये गये रिटर्न की स्वसत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करना होगी।
18	श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक के नाम से ई.पी.एफ./ई.एस.आई खाता खोलना होगा तथा प्रतिमाह ई.पी.एफ./ई.एस.आई का अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु ई.पी.एफ./ ई.एस.आई अंशदान के सत्यापित ऑनलाइन चालान एवं सत्यापित ऑनलाइन सूची जनरेट कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। श्रमिक ठेकेदार को दुग्घ संघ में लगाये गये श्रमिकों का पृथक चालान प्रस्तुत करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में प्रतिमाह/छःमाही/वार्षिकी रिटर्न, जो वैधानिक तौर पर जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारियों की सूची सहित संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान जमा कराने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि '' इस चालान द्वारा माह ....में जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ को प्रदाय किये गये कुल .... (संख्या) ठेका श्रमिकों का ई.पी.एफ/ई.एस.आई अंशदान (....... प्रतिशत) राशि रु. .... जमा कराया गया है तथा किसी भी श्रमिक का नाम छोडा नहीं गया है'' इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन चालान के पीछे देना अनिवार्य होगा। इससे बचने हेतु श्रमिक ठेकेदार के द्वारा दिया गया कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के कटौत्रे का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेख करना होगा। सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा। श्रमिक ठेकेदार को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को भुगतान उपरांत प्रतिमाह जनरेट कर मासिक देयकों के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। मासिक देयकों के साथ प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू 1,00,000/– प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा चालान प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित माह के देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में श्रमिक ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नहीं होगी। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान जमा कराने में विलंब होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा।
19	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को प्रत्येक श्रमिक का ई.एस.आई./ईपीएफ कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक श्रमिकवार राशि रू.1000/– तक की पेनाल्टी श्रमिक ठेकेदार पर लगाई जाएगी। श्रमिक ठेकेदार यदि जबलपुर शहर से बाहर का है तो उन्हें अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा, जबलपुर, ईपीएफ कार्यालय जबलपुर का सब कोड़ (Sub Code) तत्काल लेना आवश्यक है, जिससे कि श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के

	पारिश्रमिक का भुगतान श्रमिक ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में उक्त पारिश्रमिक का कटौत्रा श्रमिक ठेकेदार के आगामी माह के देयक से किया जाकर संबंधित श्रमिक को भुगतान किया जायेगा।
20	दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामे की वसूली तीनो पार्टी (पक्षो) क्रमशः वितरक /परिवहनकर्ता ,श्रमिक ठेकेदार एवं सुरक्षा एजेंसी से बराबर –बराबर राशि वसूली जायेगी। साथ ही दूध वाहन में चढ़ाने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को हटाया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट अर्थात् दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्धदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर लगाया जायेगा । इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना आर्थिक दण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जावेगा। इस सबंध में पंचनामें में संयंत्र में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उससे अधीन कार्यरत किसी कर्मचारी, के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। श्रमिकों संख्या में कमी या वृद्धि कार्य की आवश्यकतानुसार किसी भी समय की जा सकती है।
21	बोनस, जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि एवं श्रमिकों को भुगतान करने का संपूर्ण दायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वित्तीय वर्ष के बोनस का भुगतान करने हेतु, प्रबंधन के निर्देशानुसार समयावधि में, बैंक भुगतान पत्रक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जेस का समायोजन श्रमिक ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा। जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी। श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत देयकों के विरूद्ध प्रतिमाह नियमानुसार जमा योग्य जी.एस.टी की राशि को श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियमों में प्रावधानित समयावधि में जमा कराया जावेगा, अन्यथा कि स्थिति में श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू50,000/– प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।
22	भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोडा जा सकता। परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। किसी पक्ष द्वारा असहमति की दशा में दो माह पूर्व पंजीकृत पते पर सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा। निविदा प्रपत्र की समस्त शर्ते एवं भविष्य में जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा जारी किये गये समस्त पत्र, परिपत्र भी अनुबंध का अनिवार्य हिस्सा होंगे।
23	श्रमिक ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि कर्मचारी भविष्य निधि /कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों/ उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार द्वारा यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो श्रमिक ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छिपया है, तो उसका ठेका उसी भी समय समाप्त किया जायेगा।
24	श्रमिक ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने श्रमिकों से प्रतिमाह 26/27 दिवस से अधिक दिवस कार्य न करायें। साथ ही रिलीवर/एवजी की व्यवस्था भी ठेकेदार को करना होगी, जिसका भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूर्ति

	की जावेगी। ठेकेदार को श्रमिकों की संख्या के आधार पर भुगतान न करते हुए मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा। विशेष आवश्यकता की स्थिति में ही किसी श्रमिक को प्रबंधन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ही ओव्हर टाईम हेतु कार्य पर लिया जा सकेगा, सामान्य परिस्थिति में कदापि नहीं। श्रम नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश एवं कारखाना अवकाश श्रमिकों को देना अनिवार्य होगा एवं उन दिवसों में पृथक से श्रम बल भी उपलब्ध कराना होगा।
25	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्री–पैक शाखा/दुग्ध पदार्थ उत्पाद शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा यदि कार्य के समय पैकेट में कम वजन, लीकेज, डेमेज वाले पैकेटस् या निर्धारित संख्या से अधिक रखे जाते हैं या प्रोसेसिंग/उत्पादन, फिलिंग/पैकिंग, भण्डारण एवं हेण्डलिंग के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में कोई बाहरी तत्व यथा कीडे/मकौडे/बाल/कॉच का टुकडा आदि पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं अर्थ दण्ड भी अधिरोपित किया जावेगा, साथ ही संघ को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति भी श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी।
26	श्रमिकों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में एक ही पाली में निरंतर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है। श्रमिक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक श्रमिक की पाली नियमानुसार बदले ऐसा नहीं पाया जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जावेगी।
27	प्रत्येक पाली में श्रमिक ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक को संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।
28	श्रमिक ठेकेदार को संयंत्र/कार्यालय/टाईम आफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत नियोजित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले श्रमिकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। ठेकेदार या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
29	श्रमिक ठेकेदार अथवा प्रबंधन को ठेके की अवधि के मध्य दो माह का नोटिस पंजीकृत पते पर देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा ।
30	उपरोक्त शर्तों में जहां उल्लंघन की स्थिति में आर्थिक दण्ड का प्रावधान है किन्तु अर्थदण्ड की राशि अंकित नहीं है अथवा अर्थदण्ड निर्धारण के मापदण्ड स्पष्ट नहीं है, उक्त कंडिकाओं में अर्थदण्ड की राशि निम्न तालिका अनुसार अधिरोपित की जावेगी –

क्रमांक	विवरण	अर्थदण्ड की राशि रू
1	कंडिका का उल्लंघन प्रथम बार होने की स्थिति में	10,000/–
2	कंडिका का उल्लंघन द्वितीय बार होने की स्थिति में	20,000/–
3	कंडिका का उल्लंघन तृतीय बार होने की स्थिति में	30,000/–
4	कंडिका का उल्लंघन तीन से अधिक बार होने की स्थिति में	50,000/– (प्रत्येक बार)

उपरोक्त तालिका में दर्शित अर्थदण्ड संबंधी प्रावधान चोरी, हानि अथवा क्षति से संबंधित कंडिकाओं में प्रभावशील नहीं होंगे।

31	श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित शर्तो व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो दिया गया ठेका निरस्त कर सुरक्षानिधि जब्त की जा सकेगी व आर्थिक दण्ड के साथ साथ उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को संघ की काली सूची में डाला जाकर भविष्य में होने वाली संघ की किसी भी निविदा या अन्य कार्यवाही मे भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
32	जबलपुर दुग्ध संघ की सर्वोच्च प्राथमिकता दुग्ध प्रदायक किसानों को दुग्ध देयकों की राशि भुगतान करना है। यदि किसी अवधि में विशेष, विपरीत एवं कठिन वित्तीय परिस्थितिवश श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों का भुगतान जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा 03 से 04 माह तक नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में भी श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह समस्त श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान करना होगा इसके लिये ठेकेदार को चार से पांच माह का रिजर्व फण्ड रखना अनिवार्य होगा, जिससे श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह नियमित रूप से ठेका श्रमिकों के वेतन भुगतान 07 तारीख के पूर्व करना अनिवार्य होगा। ठेका श्रमिकों के वेतन भुगतान श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से नहीं किये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि राजसात करते हुये ठेका निरस्त किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी संयंत्र, जबलपुर– 482004

उपरोक्त निविदा की निविदा भरने की सामान्य शर्ते क्रमांक 01 से 15 एवं कार्य संचालन एवं अनुबंध की शर्ते क्रमांक 01 से 32 तक सभी शर्ते एवं दिशा निर्देश मैंने पढ़े और समझे हैं। मैं समस्त कंडिकाओं के अनुसार श्रमिक ठेका कार्य करने हेतु पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–
दिनांक :–

नाम :– ....
पत्राचार हेतु पता :– ....
दूरभाष / मो.नं. :– ....

कार्यालय जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

प्रपत्र–04

"भाव पत्र / दर" (मात्र ऑनलाईन जमा करें)

(अ) निम्न मदों में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :–

क्र0	विवरण
1	मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी)
2	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस
3	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान
4	कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान
5	जी.एस.टी – श्रमिक ठेकेदार द्वारा चालान जमा कर प्रस्तुत करने पर।

नोटः–

1	ठेकेदार को मानव दिवस (Mandays) के आधार पर भुगतान किया जावेगा ।
2	'अ" मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति श्रमिकों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी ।

(ब) निम्न मदों में संघ स्तर से नियमानुसार अंशदान राशि जमा करायी जावेगी :–

क्र0	विवरण
1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन भुगतान उपरांत चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन भुगतान उपरांत चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।

(स) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करें जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा :–(केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करें)

क्र0	विवरण	मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर प्रतिशत
1	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज 0.00 प्रतिशत मान्य नहीं होगा।	

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–
दिनांक :–

नाम :– ....
पत्राचार हेतु पता :– ....
दूरभाष / मो.नं. :– ....

प्रपत्र – 05

वर्तमान आवश्यकतानुसार अनुमानित ठेका श्रमिकों / सर्विस प्रोवाइडर कर्मियों की स्थानवार संख्या

जबलपुर कार्यालय, मुख्य संयंत्र एवं विभिन्न दुग्ध संयंत्रों / दुग्ध शीत केन्द्रों में श्रमिकों की संभावित संख्या

क्र.	स्थान	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	उच्च कुशल	सर्विस प्रोवाइडर कर्मी	
1	जबलपुर	41	20	51	10	5	
2	छिंदवाडा	16	5	14	0	2	
3	रीवा	5	9	13	1	0	
4	बण्डोल(सिवनी), लखनादौन, सुकतरा	9	4	3	0	1	
5	मण्डला	1	2	1	0	0	
6	बालाघाट	5	0	3	1	2	
7	नरसिंहपुर	3	2	0	0	0	
8	शहडोल	1	0	1	0	0	
9	अमरपाटन	2	0	1	0	0	
10	रामपुर नैकिन (सीधी)	1	1	1	0	0	
11	सतना	1	2	1	0	0	
12	सिंगरौली	0	0	2	0	0	
13	चितरंगी	0	1	1	0	0	
14	मऊगंज	2	1	0	0	0	
15	सिरमौर	1	1	0	0	0	
16	सिमरिया	1	1	0	0	0	
17	चाकघाट	0	1	1	0	0	
18	अनुपपूर	0	1	0	0	0	
19	मऊ ब्योहारी	1	1	0	0	0	
20	उमरिया	1	0	0	0	0	
21	कटनी (स्लीमनाबाद)	2	1	1	0	0	
	योग	93	53	94	12	10	262

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
डेयरी संयंत्र जबलपुर– 482004

पशु आहार संयंत्र बण्डोल जिला सिवनी में श्रमिकों की संभावित संख्या

अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	उच्च कुशल	सर्विस प्रोवाइडर कर्मी
16	9	1	1	2

नोट – अनुमानित कुल श्रमिक संख्या में 20 प्रतिशत संख्या घट–बढ़ संभावित है।

शपथ–पत्र रू. (रू. 100/– के नोटराईज्डस्टॉम्पपेपर पर)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम) .... (पता) ....(पंजीयन क्रमांक) .... शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूॅ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूॅ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... के विरूद्ध एम.पी.सी.डी.एफ/भोपाल/उज्जैन/जबलपुर/जबलपुर/ग्वालियर/बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में एवं अन्य शासकीय संस्थाओ में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स/जी.एस.टी का कोई विवाद पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।
3. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरूद्ध कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में कोई प्रकरण/वाद आदि न तो विचाराधीन है और न ही लंबित है।
4. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम) .... (आयु) .... (पता) .... शपथकर्ता सत्यापित करता हूॅ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 4 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

प्रपत्र –05

शपथ–पत्र रू. (रू. 100/– के नोटराईज्डस्टॉम्पपेपर पर)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम) .... (पता) ....
(पंजीयन क्रमांक) .... शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... को किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/उज्जैन/बुन्देलखण्ड सागर दुग्ध संघों द्वारा काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ–पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम) .... (आयु) .... (पता) .... शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

शपथ–पत्र रू. (रू. 100/– के नोटराईज्डस्टॉम्पपेपर पर)

मैं.................................. निवासी..................................जबलपुर दुग्ध संघ में ....कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा जबलपुर दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/ रहूंगी तथा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांकहस्ताक्षर

नाम--------------------

पता--------------------